Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 SHISRRJ | Volume 5 | Issue 4 | ISSN : 2581- 6306

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन
(सतना जिले के विषेष संदर्भ में)

डॉ. रचना श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र विभाग), शा.कन्या महाविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश)

श्रीमती विनीता सिंह
शोध छात्रा (समाजशास्त्र विभाग), शा.कन्या महाविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश)

Article Info
Volume 5, Issue 4
Page Number : 56-65

Publication Issue :
July-August 2022

Article History
Accepted : 01 July 2022
Published : 20 July 2022

शोधसारांश – महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लागू होने के साथ ही देश में काफी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे थे। सर्वप्रथम तो इसने रोजगार प्राप्त करने के मानवीय अधिकार को वैधानिक दर्जा प्रदान कर लोगों को जागरूक करने का काम किया तथा इस अधिनियम ने ग्रामीण बेरोजगारों को यह समझाया है कि रोजगार का अधिकार उनके जीवन के अधिकार में सन्निहित है। मनरेगा अपने प्रारम्भ की तिथि से ही ग्रामीण जन–जीवन को प्रभावित करने लगा है। देश, प्रदेश तथा जिले में काफी मात्रा में प्रभाव दिखायी पड़ रहा है। जब हम प्रभाव की बात करते है तो इससे तात्पर्य होता है कि लक्षित समूह के जीवन के प्रत्येक पहलू को इसने छुआ है तथा अंशतः ही सही किन्तु परिवर्तन अनिवार्यतः हुआ हो।मनरेगा ने ग्रामीणों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, अंतर केवल मात्रात्मक है। सतना जिला स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़े जिले की श्रेणी में आता है, चूँकि यह जिला ग्रामीण बहुल जनसंख्या से संगठित हुआ है एवं यहां के ग्रामीण क्षेत्र शहर से अधिक भौगोलिक दूरी पर स्थित है, ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का सामान्यतः अभाव दृष्टिगोचर होता है। ऐसे परिस्थिति में व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। चूँकि बेरोजगारी एवं गरीबी कुपोषण एवं स्वास्थ्य के निम्न स्तर का महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए यह समझ में आता है कि यदि स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, कुपोषण को दूर करना है तो सर्वप्रथम गरीबी दूर करना होगा। गरीबी दूर करने के लिए बेरोजगारी दूर करना होगा, ग्रामीणों के लिए उनके निवास स्थानों पर या उनके पहुँच योग्य स्थानों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होगें।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अकुषल मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का क्रियान्वयन होने के पश्चात स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव पडा है,

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

इसका समाजषास्त्रीय अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।
पारिभाषिक शब्द :– मनरेगा, रोजगार, अकुषल मजदूर, ग्रामीण, बेरोजगारी, कुपोषण, बी.पी.एल., स्वास्थ्य सुविधाएं रोजगार गारंटी, गरीबी।

प्रस्तावनाः– भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 68.8 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करती है, फलतः कृषि पर बढते जनसंख्या दबाव के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादकता में कमी, बेरोजगारी तथा कुपोषण में वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। इसी कारण संभवतः देश में लाखो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं। सैकड़ो परिवारों को जी तोड़ मेहनत के बावजूद पूरे वर्ष पेटभर रोटी नही मिलती। उस पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़, महामारी सूखा में उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। ऐसे लोगों मे अधिकतर अकुशल मजदूर शामिल है। इन्ही अकुशल मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया।

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में एक ''नया भाग 9 अनुच्छेद, 243 से 243 – O, अनुसूची 11 जोड़ कर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनो को साकार करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को स्थानीय स्वसाषी निकाय के रूप में प्रभावी इकाई बनाने पर बल दिया गया इस प्रकार भारत मे ग्रामीण विकास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ अब ग्रामीण गरीबी उन्मूलन बेरोजगारी निवारण स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, षिक्षा का विकास आदि के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों, के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मदारी, ग्राम पंचायतों को दी गई केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी कम करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं मे कई प्रकार की योजनाएं जैसे– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार कार्यक्रम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आदि एवं नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी रणनीति जैसे– प्रधान मंत्री जन धन योजना, ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि के प्रभावी क्रियान्वयन की जवाबदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई।

ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने के उद्देष्य से भारत सरकार ने 7 सितम्बर, 2005 में संसद द्वारा अधिनियम पारित करके रोजगार के इच्छुक व्यक्ति को 100 दिन का अकुषल रोजगार पाने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम हैं, जो ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष मे 100 दिन का

रोजगार या बेरोजगारी भत्ता प्रदान किये जाने की गारंटी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को वित्तीय वर्ष मे बिना कुशलता वाले हस्त कार्य होने वाले कार्यो के लिए निश्चित रोजगार उपलब्ध कराना जिनसे निर्धारित एवं उपयोगी संपत्ती बनाई जा सके, ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के स्त्रोतों को सुश्चित करना, उचित तरीके से सामाजिक समानता को यकीन मे बदलना, पंचायती राज संस्था को मजबूत बनाना है, इनके प्रयासों से सरकार द्वारा कुपोषण मुक्त भारत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मनरेगा के मुख्य उद्देश्य–

मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रति वर्ष 100 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है, जो मेहनत–मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी–रोटी चलाते है।

लक्ष्य –

- निर्धन ग्रामीणों को रोजगार पाने के लिए कानूनन मजबूत करना।
- समाज के असुरक्षित समूहों के पास रोजगार के वैकल्पित स्रोत न होने की स्थिति में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।
- प्रजातंत्र को ग्राम–स्तर से ही मजबूत करना तथा शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- ऐसे कार्य करना, जिनके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन सुदृढ़ हो, जो कि सूखा, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव जैसे अवांछित कारणों को दूर करते हैं और सतत् विकास को प्रोत्साहन देते हैं।

स्वास्थ्य–

स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। अतः स्वास्थ्य के केवल शारीरिक रोग या विकलांगता की अनुपस्थिति नहीं है वरन किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमता कि सामान्य स्थिति है स्वस्थ्य जीवन हेतु स्वास्थ्य आवष्यक है। स्वास्थ्य प्रकृत्ति की स्वाभाविक देन है स्वास्थ्य जीवन का सबसे अनमोल निधि है इसी पर मनुष्य की प्रसन्नता, खुषहाली, समृद्धि एवं क्रियाकलाप निर्भर होते है मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा सामाजिक सुखमय अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। रोग न होने की अवस्था स्वास्थ्य है। व्यक्ति के शरीर को निरोग होना ही स्वास्थ्य समझा जाता है।

अनेक विचारकों ने समय–समय पर स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न प्रकार है–

1. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोष – शरीर और मन की तेजपूर्ण स्थिति, ऐसी अवस्था जिसमें समस्त शारीरिक और मानसिक कार्य समय से और पूरी क्षमता से सम्पादित हो रहे हों, ऐसी अवस्था को स्वास्थ्य कहते है।

2. जे. एफ. विलियम्स – स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोत्तम रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है।

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (नं. 137) 1957– किसी आनुवांशिक और पर्यावरणीय स्थिति में मनुष्य के जीवन चर्या का ऐसा गुणवत्तापूर्ण स्तर, जिसमें उसके द्वारा सारे कार्य यथोचित समय और सुचारू रूप से सम्पादित किये जा रहे हों, स्वाथ्य कहलाता है।

अच्छे स्वास्थ्य का महत्व –

कोशिकाएं सभी जीवित जीवों की मूलभूत इकाइयाँ हैं। वे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं। कोशिकाएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। इसके अलावा, हमारे शरीर में विभिन्न विशिष्ट गतिविधियां होती हैं, जैसे हृदय रक्त पंप करता है, गुर्दे मूत्र को फ़िल्टर करता है, मस्तिष्क लगातार सोच रहा है, फेफड़े सांस लेने में मदद करते हैं।

इस तरह, हमारे शरीर में विभिन्न अंगों के बीच बहुत अंतर–संबंध है। इन सभी गतिविधियों के लिए, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सेल और टिश्यू के कामकाज के लिए भोजन आवश्यक है। इसलिए, यदि आप ठीक नहीं हैं, तो आपकी सभी शारीरिक गतिविधियाँ बाधित होने लगती हैं।

स्वास्थ्य का महत्व

1. पूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वस्थ जीवन के लिए, संतुलित आहार और नियमित रूप से व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को उचित आश्रय में रहना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और स्वच्छता की अच्छी आदतें होनी चाहिए।

2. हमें वास्तव में स्वस्थ रहने के लिए खुश रहने की आवश्यकता है। अगर हम एक–दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं और एक–दूसरे से डरते हैं, तो स्वस्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता और सद्भाव महत्वपूर्ण हैं।

3. सभी जीवों का स्वास्थ्य उनके आसपास या उनके वातावरण पर निर्भर करता है। हमारा सामाजिक वातावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण कारक है।

4. सार्वजनिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम नियमित रूप से कचरा इकट्ठा करें और उसे साफ करें। हमें किसी ऐसी एजेंसी से भी संपर्क करना चाहिए जो नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी ले सके। इसके बिना, आप अपने स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

5. हमें स्वास्थ्य के लिए भोजन चाहिए और भोजन के लिए, हमें काम करके पैसा कमाना होगा। इसके लिए काम करने का अवसर उपलब्ध होना है। इसलिए, अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं।

एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। इस तथ्य के साथ ही मनरेगा में भी व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। जिसमें निर्धारित किया गया है कि महिलायें जो काम पर आती हैं उनके 05 वर्ष की उम्र तक के शिशुओं के लिए झूलाघर व आया की व्यवस्था कार्यस्थल पर ही की जाये तथा प्रत्येक टीकों की व्यवस्था की जाये। प्रत्येक कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी व सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। मनरेगा श्रमिकों को कार्य के दौरान चोंट लग जाने पर उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुँचाने व हर्जाने की व्यवस्था मनरेगा के अन्तर्गत की गई है। गर्भवती महिलाओं को रोजगार के वक्त मातृत्व लाभ की भी सुविधा दी गई है तथा शिशु के पिता हेतु 15 दिन की मजदूरी बिना कार्य किये देने की व्यवस्था की गई है।

इतने सारे प्रावधान व सुविधाएँ मनरेगा के अन्तर्गत दिये जाने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को स्वस्थ बनाये रखने का प्रयास है। इन सुविधाओं का मनरेगा लाभार्थियों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, का विश्लेषण करने के लिए सर्वप्रथम हम निम्न तालिका का अध्ययन करेंगे।

तालिका क्र. 1

ग्रामीणों का स्वास्थ्य विश्लेषण

क्र.	तथ्य	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत
1	कार्यस्थल पर आपके स्वास्थ्य संबंधी	120	40	105	35

	सुविधाएँ उपलब्ध है				
2	कार्य के दौरान चोंट लगने पर अस्पताल पहुँचाया जाता है एवं हर्जाना दिया जाता है।	90	30	87	29
3	महिला श्रमिकों के बच्चों की देख रेख हेतु सुविधाएँ उपलब्ध है	60	20	63	21
4	गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता किसे है।	30	10	45	15
	योग	300	100	300	100

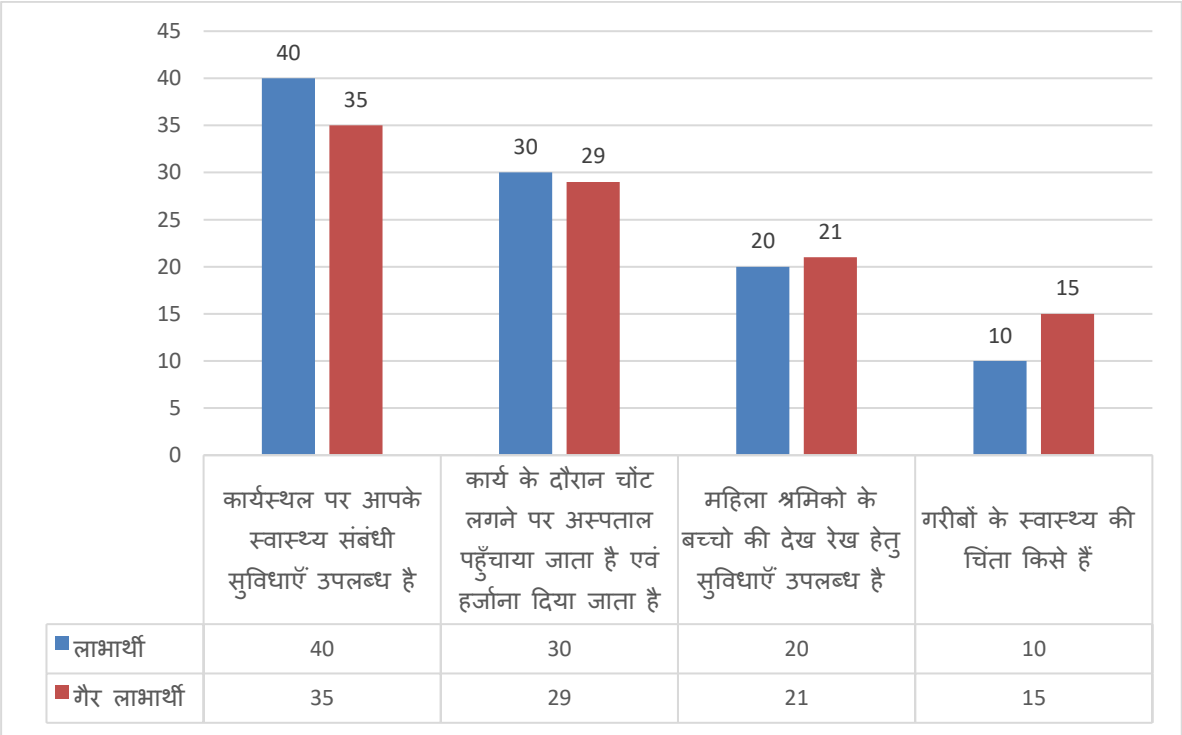

ग्राफ क्र. 1 : ग्रामीणों का स्वास्थ्य विष्लेषण

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि मनरेगा के तहत ग्रामीणों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जा रहा है। 40 प्रतिषत लाभार्थी तथा 35 प्रतिषत गैर लाभार्थियों ने बताया कि कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। 30 प्रतिषत लाभार्थी एवं 29 प्रतिषत गैर लाभार्थी ने स्वीकार किया है कि कार्य के दौरान चोंट लगने पर अस्पताल पहुँचाने की सुविधा है तथा हर्जाना भी दिया जाता है। 20 प्रतिषत

लाभार्थी तथा 21 प्रतिषत गैर लाभार्थियों ने कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों को बच्चों की देखरेख हेतु एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध है। साथ ही 10 प्रतिषत लाभार्थियों एवं 15 प्रतिषत गैरलाभार्थियों की सोच है कि गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता किसे है।

मनरेगा के तहत मिली सुविधाओं एवं रोजगार से हुई आय का ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा, या नहीं पडा की जानकारी निम्न तालिकाओं से मिलती है।

तालिका क्र. 2

मनरेगा का ग्रामीणो के स्वास्थ्य पर प्रभाव

क्र.	मनरेगा का ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा	उत्तरदाताओं की	
		संख्या	प्रतिषत
1	हाँ	420	70
2	नहीं	180	30
	योग	600	100

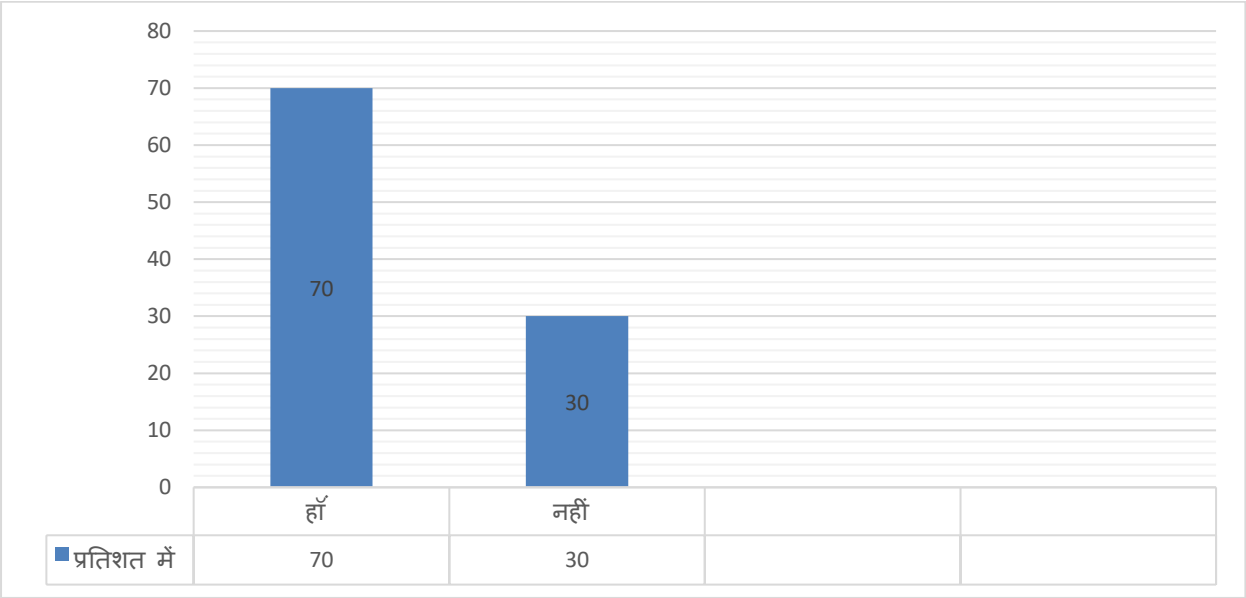

ग्राफ क्र. 2 : मनरेगा का ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

तालिका क्रं. 3

स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रकृति

क्र.	तथ्य	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत
1	षिषु मृत्यु दर में कमी आयी	84	28	84	28
2	कुपोषण में कमी आयी	18	06	30	10
3	विकलांगता में कमी आयी	03	01	36	12
4	मातृत्व मृत्यु दर में कमी	69	23	60	20
5	महिला स्वास्थ्य में सुधार हुआ	93	31	66	22
6	एनीमिया की षिकायतों में कमी	24	8	15	5
7	कोई प्रभाव नहीं पडा	09	3	9	3
	योग	300	100	300	100

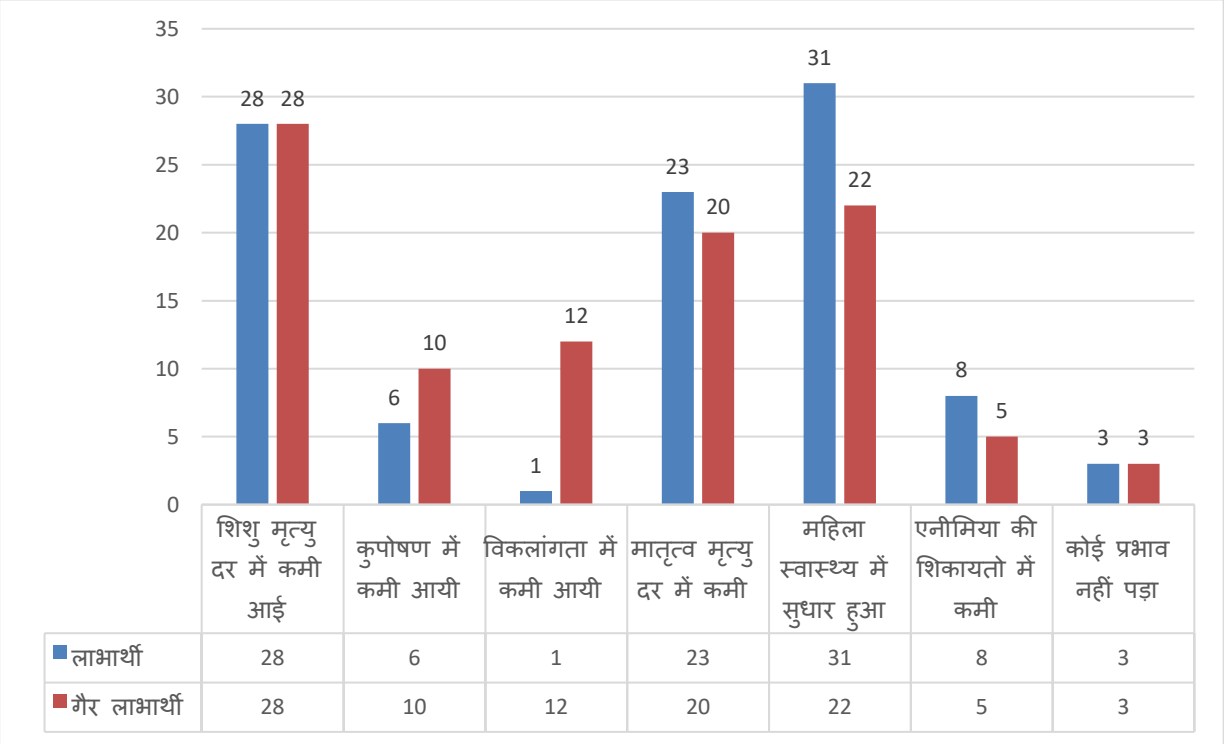

ग्राफ क्रं. 3 : स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रकृति

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 एवं तालिका क्रमांक 2 यह प्रदर्शित करता है कि मनरेगा से लोगों की आय बढ़ी है एवं आय बढ़ने से लोगों की पहुँच स्वास्थ्य सुविधाओं तक हुई है। 70 प्रतिशत ग्रामीणों ने माना है

कि मनरेगा का ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। जबकि 30 प्रतिशत ग्रामीणों की मान्यता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

तालिका क्रमांक 3 के अध्ययन से समझ में आता है कि औसतन 28 प्रतिशत ग्रामीणों ने माना है कि मनरेगा के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी आयी है, जबकि मात्र 01 प्रतिशत ग्रामीणों ने विकलांगता में कमी की बात को स्वीकारा है। औसतन 21 प्रतिशत ग्रामीणों की मान्यता है कि मातृत्व मृत्युदर में कमी आयी है तथा औसतन 26 प्रतिशत ग्रामीणों का मत है कि महिला स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। औसतन 07 प्रतिशत ग्रामीणों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एनीमिया की शिकायतों में कमी आयी है। जबकि 03 प्रतिशत ग्रामीणों ने कहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

समग्र विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि सतना जिले में कोरोना पूर्व एवं कोरोना पश्चात मनरेगा के क्रियान्वयन से मनरेगा लाभार्थियों के जीवन एवं स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ा है। मनरेगा लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है जिससे उनकी क्रयषक्ति बढ़ी तथा उसका प्रभाव ग्रमीणों के स्वास्थ्य पर दिखाई देता है, जैसे– षिषु मृत्यु दर में कमी आना, कुपोषण में कमी आई, विकलांगता, मातृत्व मृत्यु दर, एनीमिया जैसे आंकड़े कम हुए है, महिला स्वास्थ्य में सुधार हुआ है लोगों कि आय बढने से स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिष्चित हुई है। इस तरह हम देखते है कि मनरेगा ने अपने क्रियान्वयन के साथ ही ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है।

संदर्भ सूची

1	सेल्जनिक एण्ड बूम	प्रिन्सीपल ऑफ सोषियोलॉजी।
2	पंथ डी0 सी0	भारत में ग्रामीण विकास, कालेज बुक, 2007।
3	ओझा सी0 एम0	सामान्य, समाजषास्त्र एवं भारत में समाज दीप्ती प्रकाषन, इलाहाबाद, 2007।
4	गुप्ता, मोतीलाल	भारतीय समाज, राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकादमी पब्लिकेषन, जयपुर 2005।
5	Rozgar Guarantee Yojana Madhya Pradesh	Useful for Gram Sabha representatives, groups and members working for them, Samarthan, Centre for Development support, March 2006
6	http://www.nrega-mp.org/	

7	http://nrega.nic.in/draft_guidelines.pdf
8	Madhya Pradesh Gramin Rozgar Yojana-Salient Features, Samarthan, Centre for Development Support, 2005
9	Ministry of rural development 2007. National rural Employment Gurantee Act 2005, New Delhi, Ministry of Rural Employment.
10	Samvad, V. 2005, Status Report of MNREGA in Madhya Pradesh. Bhopal, India, State Advisor (Madhya Pradesh)